कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक –सह– जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिमडेगा

नए समाहरणालय भवन, 'सी' ब्लॉक ग्राउण्ड फ्लोर, खूंटीटोली, सिमडेगा

E-mail ID : rmsasimdega@gmail.com Phone/Fax : 06525-225016

पत्रांक 296 सिमडेगा, दिनांक 24/02/2022

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक –सह–
जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिमडेगा।

सेवा में,

Principal,
St. Mary's English Medium School,
Samtoli, Post-Gotra (835235)

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18 परियोजनार्थ एवं सभी को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उप नियम 05 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रा0 स्वीकृति का प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 780 / 2022 दिनांक 18.02.2022 और उसके क्रम में आपसे किए गए पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण के आलोक मे आपके विद्यालय Principal, St. Mary's English Medium School, Samtoli, Post-Gotra (835235) (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) प्रथम कक्षा से अष्टम कक्षा तक जिसके संचालन हेतु गत वर्षों 2021 से 2024 अवधि के लिए औपबंधिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी :–

1. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 की धारा मानकों एवं मापदण्डों को बरकरार रखेगा। स्वघोषणा पत्र के आधार पर अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत है :–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	: 2.29 एकड़ (9267.301 Sq.M)
कुल निर्मित क्षेत्र	: 2207 Sq.M
खेल के मैदान का क्षेत्र	: 3252 Sq.M
वर्ग कक्षों की कुल संख्या	: 19
प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भण्डार कक्ष	: हाँ
बालक तथा बालिकाओं के अलग–अलग शौचालय	: हाँ
पेयजल की सुविधा	: हाँ
मध्याहन भोजन के लिए रसोई घर	: हाँ
बाधा रहित पहुँच	: हाँ
शिक्षण अधिनियम सामग्री	: हाँ
खेल–कूद उपकरण	: हाँ
पुस्तकालय	: हाँ

2. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1880 (1880 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसायटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

3. विद्यालयों के लिए अधिनियम के अन्तर्गत जो मान और मानक निर्धारित है उन्हें 03 (तीन) वर्षों के अन्दर पूर्ण कर लेनी पड़ेगी अन्यथा आपकी प्रस्वीकृति रद्द कर दी जाएगी। विद्यालय के लिए मान और मानक निम्नवत् है :–

क्र0	मद	मान और मानक	
	शिक्षकों की संख्या		
1	(क) पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा के लिए	**प्रवेश किए गए बालक**	**शिक्षकों की संख्या**
		60 तक	2 (दो)
		61–90 के मध्य	3 (तीन)
		91 से 120 के मध्य	4 (चार)
		121 से 200 के मध्य	5 (पांच)
		150 बालकों से उपर	कक्षा एक से उपर एक अध्यापक
		250 बालकों से उपर	तीन शिक्षक अनुपात (प्रधानाध्यापक के अनुसार 10 से अधिक नहीं होगा)
		1. कम से कम प्रति कक्षा एवं शिक्षा कई प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो	
		i. विज्ञान और गणित	
		ii. सामाजिक अध्ययन	
		iii. भाषा	
2	(ख) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए	2. प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक	
		3. जहां 100 से उपर बालकों का प्रवेश किया गया है वहां :–	
		i. पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक	
		ii. अंशकालिक शिक्षक के लिए	
		अ) कला शिक्षा	
		आ) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षक	
		ई) कार्य शिक्षा	
3	भवन	सभी मौसम वाला भवन जिसमें निम्नलिखित होंगे	
		1. प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय–सह–मण्डल–सह–प्रधानाध्यापक कक्ष	
		2. बाधा मुक्त पहुंच	
		3. लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग–अलग शौचालय	
		4. सभी बालकों के लिए सुरक्षित और उपयुक्त पेयजल	
		5. रसोई घर दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाय	
		6. सीमा विकाल या बाउण्ड्री द्वारा विद्यालय भवन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यवस्थाएं	
		7. खेल का मैदान	
4	एक शैक्षिक वर्ग में कार्य दिवसों/शिक्षण कार्यों की न्यूनतम संख्या	1. पहली से पांचवी कक्षा के लिए शैक्षणिक दिवस	
		2. छठी से आठवीं कक्षा के लिए प्रति 220 कार्य दिवस	
		3. पहली से पांचवी कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 शिक्षण घंटे	
		4. छठी से आठवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 1000 शिक्षण घंटे	
5	शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटे की न्यूनतम संख्या	45 (शिक्षण तैयारी के घंटे सम्मिलित किए जाएं)	
6	अध्यापन शिक्षण उपस्वार	प्रत्येक कक्षा के लिए सभी अपेक्षित उपलब्ध कराए जाएंगे।	

7	पुस्तकालय	प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा जिसमें एक समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तके, जिसके अन्तर्गत कहानी की पुस्तकें भी उपलब्ध होंगी।
8	खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा उपस्कर	प्रत्येक कक्षा को यदा अपेक्षित उपलब्ध कराए जाएंगे।

विश्वासभाजन

24/2/22

जिला शिक्षा अधीक्षक –सह–
जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिमडेगा।

24/2/22